



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-I/56678/2026/Comp No-12218/PA-2/E-7/HP दि० 19-06-2026

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय द्वारा जारी आवास आवंटन नोटिस के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों पर आवास आवंटन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञाप सं० I/43594/2026 दि० 09-03-2026, I/47029/2026 दि० 08.04.2026 तथा I/50525/2026 दि० 02.05.2026 द्वारा आवंटित आवासों में एक माह की समय सीमा में अभिधारण न लिये जाने के फलस्वरूप निम्न कार्मिकों को आवास आवंटन नीति-2024 के प्रस्तर-7(x) के प्राविधानानुसार आवास आवंटन निरस्त करते हुए 03 वर्ष के लिये आवास आवंटन प्रक्रिया से एतद्वारा वारित (Debar) किया जाता है।


S No	SAP ID	Employee Name and Post	Allotted Colony and House No.	Debar Till
1	11005433	Ramesh Soni, AE	Indralok 04/34	दि० 09-03-2029 तक।
2	11002477	Rakesh Kumar Yadav, EE	PNR 04/04	दि० 08-04-2029 तक।
3	11004300	Surendra Singh Bhandari, EE	Vivekanandpuri 04/34	दि० 08-04-2029 तक।
4	11006391	Naresh Kumar CE	Chandralok 05/80	दि० 02.05.2029 तक।
5	11001071	Pramod Kumar Sagar, EE	PNR 04/06	दि० 02.05.2029 तक।
6	11000927	Rajendra Singh, EE	Chandralok Transit-08	दि० 02.05.2029 तक।
7	11008660	Padam Gupta, AE	Chandralok Transit-68	दि० 02.05.2029 तक।

उपरोक्त कार्मिक वारित (Debar) अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही आगामी रिक्त आवासों की सूचना के सापेक्ष प्रारूप-02 में भरकर आवंटन हेतु पुनः आवेदन कर सकेंगे। इसके पूर्व ऐसे कार्मिकों के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आवास आवंटन समिति की आज्ञा से,

प्रतिलिपि निम्नवत को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता जानपद, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड, प्रथम, पुरनिया, अलीगंज, लखनऊ।
2. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत जानपद निर्माण उपखण्ड, द्वितीय/तृतीय, पुरनिया, अलीगंज, लखनऊ।
3. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत जानपद निर्माण उपखण्ड प्रथम इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कार्मिक।


19.06.2026

(सूरज पाल)

संयोजक एवं कार्मिक अधिकारी

आवास आवंटन समिति

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)